

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

विज्ञापन संख्या: टीपीआर 9118 / Adhoc.ATP / 2020 पार्ट 1610

जयपुर, दिनांक : 19 FEB 2021

शुद्धि-पत्र

विज्ञापन संख्या: टीपीआर 9118 / Adhoc.ATP / 2020 पार्ट दिनांक 05.02.2021 में अंकित "विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान" के अन्तर्गत नोट संख्या (3) के पश्चात् नोट संख्या (4) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

"(4) सहायक नगर नियोजक के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 में अंतिम बार विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2022 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।"

Xh 19/02/2021
(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।